"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई 2017—आषाढ़ 30, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 मई 2017

क्रमांक एफ 2-4/2017/1-8.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री के. सी. यादव (भा.व.से.-1984), संचालक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), निमोरा, रायपुर की सेवाएं वन विभाग को वापिस करता है.

2. श्री पी.सी. मिश्रा (भा.व.से.-1985), आयुक्त, नरेगा, छत्तीसगढ़, रायपुर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ संचालक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), निमोरा, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग
कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, डी.के.एस.भवन के सामने
पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2017

क्रमांक–150A/स्था/2017/5428.–भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ निर्वाचन (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 6 में, उप–नियम (1) में, खण्ड (क) में, शब्द ''एवं साक्षात्कार'' का लोप किया जाये।

2. नियम 8 में, खण्ड (एक) में,–
   (क) उप–खण्ड (क) में, शब्द, चिन्ह एवं विराम "परीक्षा/चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी" के स्थान पर, शब्द, चिन्ह एवं विराम "वर्ष जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की" प्रतिस्थापित किया जाये, एवं

   (ख) उप–खण्ड (च) का लोप किया जाये

3. नियम 10 में, चिन्ह एवं शब्द "/ साक्षात्कार" का लोप किया जाये।

4. अनुसूची–एक, दो, तीन एवं चार के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :–

अनुसूची–एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	1	तृतीय श्रेणी	9300–34800	4300	
2.	शीघ्रलेखक वरिष्ठ	1	तृतीय श्रेणी	9300–34800	4300	
3.	सहायक प्रोग्रामर	2	तृतीय श्रेणी	9300–34800	4300	
4.	ग्रंथपाल	1	तृतीय श्रेणी	9300–34800	4300	
5.	सहायक ग्रेड–एक	5	तृतीय श्रेणी	9300–34800	4200	
6.	शीघ्रलेखक कनिष्ठ	3	तृतीय श्रेणी	5200–20200	2800	
7.	लेखापाल	1	तृतीय श्रेणी	5200–20200	2800	
8.	मानचित्रकार	1	तृतीय श्रेणी	5200–20200	2800	
9.	सहायक ग्रेड–दो	6	तृतीय श्रेणी	5200–20200	2400	
10.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2	तृतीय श्रेणी	5200–20200	2200	
11.	सहायक ग्रेड–तीन	8	तृतीय श्रेणी	5200–20200	1900	
12.	वाहन चालक	5	तृतीय श्रेणी	5200–20200	1900	

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	सेवा/पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों का प्रतिशत		टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	1	–	100%	
2.	शीघ्रलेखक वरिष्ठ	1	–	100%	
3	सहायक प्रोग्रामर	2	100%	–	
4.	ग्रंथपाल	1	100%	–	
5.	सहायक ग्रेड–एक	5	–	100%	
6.	शीघ्रलेखक कनिष्ठ	3	100%	–	
7.	लेखापाल	1	–	100%	
8.	मानचित्रकार	1	100%	–	
9.	सहायक ग्रेड–दो	6	–	100%	
10.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2	100%	–	
11.	सहायक ग्रेड–तीन	8	75%	25%	
12.	वाहन चालक	5	100%	–	

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिए)

स. क्र.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सहायक ग्रेड–तीन	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए 35 वर्ष)	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। **अथवा** पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण –पत्र 3. कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)

2.	शीघ्रलेखक कनिष्ठ	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए 35 वर्ष)	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, **या** पुरानी हायर सेकेण्डरी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/ संस्था, शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) तथा मुद्रलेखन परिषद् से :– **(क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए**–हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन(शार्टहैण्ड) मे 100 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) **(ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए**–अंग्रेजी शीघ्रलेखन(शार्टहैण्ड) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन(शार्टहैण्ड) मे 100 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) **(ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए**–ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन(शार्टहैण्ड) पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन(शार्टहैण्ड)में100 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र तथा डाटा एण्ट्री की गति 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के लिय कौशल परीक्षा ली जायेगी)
3.	मानचित्रकार	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी हायर सेकेण्डरी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यकम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मानचित्रकारिता में तीन वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए।
4	वाहन चालक	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त संस्था/ मण्डल से माध्यमिक शाला परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) भारी/हल्के मोटर वाहन का लायसेंस होना चाहिए। (3) सभी प्रकार के मोटर वाहन चालन का एक वर्ष का अनुभव।

5.	सहायक प्रोग्रामर	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए 35 वर्ष)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सी.एस./ आईटी विषय से बीई/बीटेक/एम.सी.ए. न्यूनतम 60% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, तथा प्रोग्रामिंग में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
6.	ग्रंथपाल	–तदैव–	–तदैव–	बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इनफार्मेशन साइंस एवं एक वर्ष का कार्य अनुभव, एवं कम्प्यूटर कार्य का ज्ञान होना चाहिए।
7.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	–तदैव–	–तदैव–	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। **अथवा** पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। **अथवा** कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र तथा हिन्दी और अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)

अनुसूची–चार
(नियम 13 एवं 14 देखिये)

स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद के लिए पात्रता हेतु न्यूनतम अनुभव अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सहायक ग्रेड–I	अनुभाग अधिकारी	5 वर्ष	**1.** मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी –अध्यक्ष **2.** संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी –सदस्य **3.** उप सचिव विधि विभाग –सदस्य

2.	लेखापाल	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	5 वर्ष	1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी —अध्यक्ष 2. संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी —सदस्य 3. उप सचिव विधि विभाग —सदस्य
3.	शीघ्रलेखक कनिष्ठ	शीघ्रलेखक वरिष्ठ	5 वर्ष	—तदैव—
4.	सहायक ग्रेड—II	सहायक ग्रेड—I	5 वर्ष	—तदैव—
5	सहायक ग्रेड—II	लेखापाल	5 वर्ष एवं लेखा परीक्षा उत्तीर्ण	—तदैव—
5.	सहायक ग्रेड—III	सहायक ग्रेड—II	5 वर्ष	—तदैव—
6.	भृत्य	सहायक ग्रेड—III	चतुर्थ श्रेणी के पद पर 05 वर्ष की सेवा तथा हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण हो	—तदैव—

No. 150A/स्था/2017/5428.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Election (Non-Gazetted) Class III Service Recruitment Rules, 2011 namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In Rule 6, in sub-rule (1), in clasue (a), the words "and interview " shall be omitted.

2. In rule 8, in clause (I),
   (a) in sub –clause (a), for the words, symbol and punctuation " next following the date of commencement of the examination /selection." the word symbol and punctuation " of the year in which the advertisement for the post is published" shall be substituted., and

   (b) sub – clause (f) shall be omitted.

3. In rule 10, the symbol and word " /interview" shall be omitted.

4. For Schedule-I, II, III and IV , the following shall be substituted namely :-

" SCHEDULE - I
(See Rule 5)

S. No.	Name of the post included in the Service	Total number of posts	Classification	Scale of pay	Grade Pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Assistant Statistical Officer	1	Class-III	9300-34800	4300	
2.	Stenographer Senior	1	Class-III	9300-34800	4300	
3.	Assistant Programmer	2	Class-III	9300-34800	4300	
4.	Librarian	1	Class-III	9300-34800	4300	
5.	Assistant Grade-I	5	Class-III	9300-34800	4200	
6.	Stenographer Junior	3	Class-III	5200-20200	2800	
7.	Accountant	1	Class-III	5200-20200	2800	
8.	Draftsman	1	Class-III	5200-20200	2800	
9.	Assistant Grade-II	6	Class-III	5200-20200	2400	
10.	Data Entry Operator	2	Class-III	5200-20200	2200	
11.	Assistant Grade-III	8	Class-III	5200-20200	1900	
12.	Driver	5	Class-III	5200-20200	1900	

SCHEDULE – II
(See rule 6)

S.No.	Name of the service/post	Total Number of duty posts	Percentage of the duty post to be filled in		Remarks
			By direct recruitment [See Rule 6(1)(a)]	By promotion of the substantive members of the Service [See Rule 6(1)(b)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Statistical Officer	1	--	100%	
2.	Stenographer Senior	1	--	100%	
3.	Assistant Programmer	2	100%	---	
4.	Librarian	1	100%	---	
5.	Assistant Grade-I	5	--	100%	
6.	Stenographer Junior	3	100%	---	
7.	Accountant	1	---	100%	
8.	Draftsman	1	100%	---	
9.	Assistant Grade-II	6	--	100%	
10.	Data Entry Operator	2	100%	---	
11.	Assistant Grade-III	8	75%	25%	
12.	Driver	5	100%	---	

Schedule III
(See rule 8)

S. No.	Name of Service/post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Chhattisgarh Class-III Election Service			
1.	Assistant Grade-III	18 year	30 years (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	(1) passed (10+2) Examination from any recognized Board. OR Passed Old Higher Secondary Examination with first year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) One year Diploma / Certificate in Data Entry Operator / Programming from any recognized institute. (3) In Hindi computer typing 5,000 (key) depression speed per hour. (efficiency test for speed shall be taken)
2.	Stenographe r Junior.	....do.....	....do.....	(1) passed (10+2) Examination from any recognized Board. OR Passed Old Higher Secondary Examination with first year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) From any recognized Board/Institute/ Stenography (Shorthand) Typing Council :- (a) For Stenographer (Hindi) – Passed Hindi Stenography (Shorthand) certificate Examination 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken) (b) For Stenographer (English) – Passed English Stenography (Shorthand) certificate Examination 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken) (c) For Bilingual Stenographer - Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 word per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken) (3) One year Diploma / Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken)

3.	Draftsman	18 year	30 years (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	(1) passed (10+2) Examination from any recognized Board. OR Passed Old Higher Secondary Examination with first year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) Should have 3 year diploma in Draftsmanship from any recognized institution by the Government.
4.	Driver	....do.....	....do.....	(1) Should have passed Middle School Examination from any recognized Institution/Board. (2) Should possess Heavy/Light Motor Vehicle License. (3) One year experience of driving of all type of motor vehicles.
5.	Assistant Programmer	....do.....	....do.....	Should have passed B.E./ B. Tech. / MCA in CS/IT & from any recognized University with minimum 60% and at least 2 years experience in Programming is Compulsory.
6.	Librarian	....do.....	....do.....	Bachelor of library and information Science with 1 year work experience and should have knowledge of computer work.
7.	Data Entry Operator	....do.....	....do.....	(1) passed (10+2) Examination from any recognized Board. OR Passed Old Higher Secondary Examination with first year examination of Graduation Course from any recognized University OR Passed 10th Examination and three-year diploma from any recognized institute. 2) One year Diploma /Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and spead of data entry 8000 (Key) Depressi per hour in Hindi and English. (efficiency test for speed shall be taken)

SCHEDULE - IV
(See rule 13 & 14)

S. No.	Name of service or post from which promotion is to be made	Name of service or post on which promotion is to be made	Minimum experience period for eligibility for post	Name of Members of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Assistant Grade-I	Section Officer	5 Years	1. Chief Electoral Officer **-Chairman.** 2. Joint Chief Electoral Officer / Deputy Chief Electoral Officer **-Member** 3. Deputy Secretary Law Department **- Member.**
2.	Accountant	Assistant Statistical Officer	5 years	.....do.....
3.	Stenographer Junior	Stenographer Senior	5 Years	.....do.....
4.	Assistant Grade-II	Assistant Grade-I	5 Years	.....do.....
5.	Assistant Grade-II	Accountant	5 years and passed Accountant Training Examination	.....do.....
6.	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II	5 Years	.....do.....
7.	Peon	Assistant Grade-III	Should have five year of service on the post of Class –IV and have passed Higher Secondary. Examination.	.....do.....

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, पदेन सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला—बलरामपुर,			वनमंडल—बलरामपुर,		तहसील— सामरी (कुसमी) वन परिक्षेत्र—चान्दों
स. क्र.	वनखण्ड का नाम	प.ह.क्र. एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहाँ वन खण्ड अवस्थित है	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हे. में	अवस्थिति / सीमाएँ
1	2	3	4	5	6
1	खराकोना (स)	09 / गदामी	70	1.927	**उत्तर:**— ग्राम गदामी के भूमि खसरा क्र. 71 की उत्तरी सीमा के मुनारा क्रमांक 103 होते हुए खसरा क्र. 242, 375, 235 के उत्तरी सीमा व खसरा क्र. 69, 241, 240, 233 की दक्षिणी सीमा, मुनारा क्र. 124 तक व मुनारा क्र. 124 से वनखण्ड गदामी में पूर्व से स्थित मुनारा क्र. 83 तक । **पूर्व :**— वनखण्ड गदामी के पूर्व में स्थित मुनारा क्र. 83 से मुनारा क्र. 125 खसरा क्र. 235 की पूर्वी सीमा व खसरा क्र. 234 की पश्चिमी सीमा होते हुए खसरा क्र. 377 की पूर्व सीमा के मुनारा क्र. 126 से मुनारा क्र. 133 व मुनारा क्र. 133 से वनखण्ड गदामी में स्थित मुनारा क्र. 81 तक एवं खसरा क्र. 377 के मुनारा क्र. 01 से 04 तक एवं खसरा क्र. 388 की पूर्वी सीमा एवं खसरा क्र. 378 की पश्चिमि सीमा होते हुए खसरा क्र. 388 की पूर्वी सीमा, मुनारा क्रमांक 04 से 09 तक व खसरा क्र. 378 की पश्चमी सीमा तक व खसरा क्र. 388 की दक्षिणी सीमा मुनारा क्र. 09 से 12 एवं पश्चमी सीमा मुनारा क्र. 12 से 14 तथा खसरा क्र. 378 के उत्तरी सीमा, खसरा क्र. 374 की दक्षिणी सीमा मुनारा क्र. 14 से 18 खसरा क्र. 378 की उत्तरी सीमा व खसरा क्र. 374 के मुनारा क्र. 18 से 22 तक खसरा क्रमांक 374 की पूर्वी सीमा होते हुए खसरा क्र. 242 की दक्षिणी सीमा मुनारा क्र. 22 से 27 तक खसरा क्र. 373 की उत्तरी सीमा होते हुए एवं खसरा क्र. 243, 247, 251, 360, की पूर्वी सीमा व खसरा क्र. 373, 372, 371, 245, 246, 366, 365, 364, 363, 362, 361 की पश्चमी सीमा मुनारा क्र. 27 से 55 तक। **दक्षिण:**— खसरा क्र. 360 की दक्षिणी सीमा मुनारा क्र. 55 से 71 तक ग्राम जलजली की सीमा एवं स्थानीय नाला । **पश्चिम:**—खसरा क्र. 360, 252, 251, 247, 243, 242, 70, 71 की पश्चमी सीमा व खसरा क्र. 358, 357, 353, 256 की पूर्वी सीमा मुनारा क्र. 71 से होते हुए मुनारा क्र. 103 तक ।
			71	1.664	
			235	1.169	
			242	2.938	
			243	0.974	
			247	1.083	
			251	1.343	
			252	0.934	
			360	8.997	
			374	2.636	
			375	2.482	
			376	1.599	
			377	2.411	
			388	2.796	
		योग	14	32.953	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 20 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 20-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur, the 20th June 2017

No. F 7-8/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927) , the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Kusmi Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter-II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District: – Balrampur, Forest Division :– Balrampur, Tehsil :-Samri (Kusmi) Forest Range :- Chando

S. No.	Name of the Forest Block	Patwari Halka No. and Revenue Village where Block situated	Khasra No.	Area in Heactre	Situation / Limit
1	2	3	4	5	6
1	Kharakona (C)	09/GADAMI	70	1.927	**North : -** Pillar No. 103 of the northern boundary of Khasra No.71 of village Gadami, northern boundary of khasra No. 242, 375, 235 and the southern boundary of Khasra No. 69, 241, 240, 233, upto Pillar No. 124 and Pillar No. 124 to Pillar No. 83 located east of Forest Block Gadami.
			71	1.664	**East :-** Pillar No. 83 located east of Forest Block Gadami to Pillar No. 125, eastern boundary of Khasra No. 235 and western boundary of Khasra no. 234, Pillar No. 126 of the eastern boundary Khasra No. 377 to Pillar No. 133 and Pillar No 133 to Pillar No. 81 located at Forest block Gadami and Pillar No. 01 of Khasra No. 377 to Pillar No. 04 and eastern boundary of Khasra No. 388 and western boundary of Khasra No. 378, eastern boundary of Khasra No. 388, Pillar No. 04 to 09 and western boundary of Khasra No. 378 and southern boundary of Khasra No. 388, Pillar No. 09 to 12 and western boundary Pillar No. 12 to 14 and northern boundary of Khasra No. 378, southern boundary of Khasra No. 374, Pillar No. 18 to 22, eastern boundary of Khasra No. 374, southern boundary of Khasra No. 242, Pillar no. 22 to 27 , northern boundary of Khasra No. 373 eastern boundary of Khasra No. 243, 247, 251, 360 and western border of Khasra No. 373, 372, 371, 245, 246, 366,365, 364, 363, 362, 361, Pillar No. 27 to 55.
			235	1.169	**South :-** Upto southern boundary of Khasra No. 360 Pillar No. 55 to 71 of Jaljali Village boundary and local Nala.
			242	2.938	**West :-** Western boundary of Khasra No. 360, 252, 251, 247, 243, 242, 70, 71 and eastern border of Khasra No. 358, 357, 353, 256, of Pillar No. 71 upto Pillar No. 103.
			243	0.974	
			247	1.083	
			251	1.343	
			252	0.934	
			360	8.997	
			374	2.636	
			375	2.482	
			376	1.599	
			377	2.411	
			388	2.796	
		G. Total	14	32.953	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 20 जून 2017

क्रमांक एफ 7–8/2013/10–2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय–दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार उप–खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला–बलौदाबाजार, वनमण्डल–बलौदाबाजार, तहसील–बलौदाबाजार, परिक्षेत्र– बलौदाबाजार

स. क्र.	वनखण्ड का नाम	प.ह.क्र.एवं राजस्व ग्राम का नाम जहॉं वनखण्ड अवस्थित है	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हे. में)	अवस्थिति / सीमाये
1	2	3	4	5	6
1.	करमाडीह 'अ'	12, करमाडीह	519	0.113	उत्तर–खसरा क्र. 521 की दक्षिणी सीमा एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 2 से 3. पूर्व– खसरा क्र. 521 की दक्षिणी सीमा एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 3 से 4. दक्षिण–घासभूमि खसरा क्र. 520 की उत्तरी सीमा एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 4 से 1. पश्चिम–खसरा क्र. 512 की पूर्वी सीमा एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 1 से 2.
	करमाडीह 'ब'	12, करमाडीह	516/1 516/2 एवं 575	0.930	उत्तर–घासभूमि जमीन खसरा क्र. 520 की दक्षिणी सीमा एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 6 से 7. पूर्व–खसरा क्र. 566 की पूर्वी सीमा एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 7 से 1. दक्षिण–खसरा क्र. 567, 573, 574, 576, 515, 514, 513 की उत्तरी सीमा एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 1 से 6. पश्चिम–घास जमीन एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 6
	करमाडीह 'स'	12, करमाडीह	525, 526, 538, 537, 539, 540/1, 540/2	1.741	उत्तर–खसरा क्र. 522, 524, 527 की दक्षिणी सीमा एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 3 से 6. पूर्व– खसरा क्र. 535, 536 एवं 541 की पश्चिमी सीमा एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 6 से 11. दक्षिण–खसरा क्र. 554 की उत्तरी सीमा एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 11 से 1. पश्चिम–खसरा क्र. 566 एवं 520 की पूर्वी सीमा एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 1 से 3.
			योग :–	2.784	

स. क्र.	वनखण्ड का नाम	प.ह.क्र.एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहाँ वनखण्ड अवस्थित है	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हे. में)	अवस्थिति / सीमाये
1	2	3	4	5	6
2.	कुकुरदी "अ"	10, कुकुरदी	136/8	5.160	उत्तर–खसरा क्र. 136/6, 136/4, 136/3 की दक्षिणी सीमा एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 2 से 3. पूर्व–खसरा क्र. 136/1 की पश्चिमी सीमा एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 3 से 4. दक्षिण–खसरा क्र. 159 की उत्तरी सीमा। (नाला) एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 4 से 1. पश्चिम– ग्राम मुढ़ीपार की ग्राम सीमा एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 1 से 2.
	कुकुरदी "ब"	10, कुकुरदी	163/1, 2	0.729	उत्तर–खसरा क्र. 162 की दक्षिणी सीमा एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 1 से 2. पूर्व–नाला, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमि. की सीमा एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 2 से 4. दक्षिण–अल्ट्राटेक सीमेंट लिमि. की सीमा एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 4 से 7. पश्चिम–खसरा क्र. 164/1 एवं 165/4 की पूर्वी सीमा एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 7 से 1.
	कुकुरदी "स"	10, कुकुरदी	165/2, 165/7, 165/1, 165/6, 165/8	0.166 0.304 0.304 0.405 0.166	उत्तर–खसरा क्र. 165/3 की दक्षिणी सीमा। (अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड) एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 1 से 2. पूर्व–खसरा क्र. 165/5 की पश्चिमी सीमा। (अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड) एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 2 से 5. दक्षिण–ग्राम ढ़नढ़नी की ग्राम सीमा (नाला) एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 5 से 6. पश्चिम–निजी भूमि एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 6 से 1.
			योग :–	**7.234**	
3.	मुढ़ीपार	10/11, मुढ़ीपार	338/2, 3,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14, 17, 19, 22, 341, 343 344/2, 345	12.341	उत्तर–खसरा क्र. 332, 339, 340/1 एवं 340/2 की दक्षिणी सीमा एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 11 से 15. पूर्व–ग्राम कुकुरदी की ग्राम सीमा एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 15 से 25. दक्षिण–ग्राम ढ़नढ़नी की ग्राम सीमा (ढ़नढ़नी नाला) एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 25 से 32 एवं 2. पश्चिम– खसरा क्र. 346, 338/21, 338/4, 337 एवं 336 की पूर्वी सीमा एवं कृत्रिम मुनारा क्र. 2 से 11.
			योग :–	**12.341**	
			महायोग :–	**22.359**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 20 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 20-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur, the 20th June 2017

No. F 7-8/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927) , the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Balodabazar Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter-II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District-Balodabazar, Forest Division-Balodabazar, Tahsil-Balodabazar, Forest range-Balodabazar.

S. No.	Name of Forest block	Patwari halka no. and Revenue Village where block situated	Khasara No.	Area in Hectare	Situation/ Limit
1	2	3	4	5	6
1	Karmadih "A"	12, Karmadih	519	0.113	**North**-Southern boundary of Khasra No. 521, and Artificial Pillar No. 2 to 3. **East**- Southern boundary of Khasra No. 521, and Artificial Pillar no. 3 to 4. **South**-Northern boundary of Greenland khasra No. 520, and Artificial Pillar no. 4 to 1. **West**-Eastern boundary of Khasra No. 512 and Artificial Pillar no.1 to 2.
	Karmadih "B"	12, Karmadih	516/1, 516/2 and 575	0.930	**North**-Southern boundary of Greenland Khasra No. 520 and Artificial Pillar no. 6 to 7. **East**-Eastern boundary of Khasra No. 566, and Artificial Pillar no. 7 to 1. **South**-Northern boundary of Khasra No. 567, 573, 574, 576, 515, 514 and 513 and Artificial Pillar no. 1 to 6. **West**-Greenland and Artificial Pillar No. 6
	Karmadih "C"	12, Karmadih	525, 526, 538, 537 539, 540/1, 540/2	1.741	**North**-Southern boundary of Khasra.No. 522, 524 and 527 and Artificial Pillar No. 3 to 6. **East**-Western boundary of Khasra.No. 535, 536 and 541 and Artificial Pillar No. 6 to 11. **South**-Northern boundary of Khasra.No. 554 and Artificial Pillar No. 11 to 1. **West**-Eastern boundary of Khasra.No. 566 and 520 and Artificial Pillar No. 1 to 3.
			Total:-	**2.784**	

S. No.	Name of Forest block	Patwari halka no. and Revenue Village where block situated	Khasara No.	Area in Hectare	Situation/ Limit
1	2	3	4	5	6
2	Kukurdi "A"	10, Kukurdi	136/8	5.160	**North**-Southern boundary of Khasra.No. 136/6, 136/4, 136/3 and Artificial Pillar No. 2 to 3. **East**-Western boundary of Khasra No. 136/1 and Artificial Pillar no. 3 to 4 **South**-Northern boundary of Khasra No. 159 (Nala) and Artificial Pillar No. 4 to 1. **West**-Village boundary of Mudhipar Village and Artificial Pillar no. 1 to 2.
	Kukurdi "B"	10, Kukurdi	163/1, 2	0.729	**North**-Southern boundary of Khasra No. 162 and Artificial Pillar No. 1 to 2. **East**-Nala & boundary of Ultrateck Cement Ltd. and Artificial Pillar No. 2 to 4. **South**-Boundary of Ultrateck Cement Ltd. and Artificial Pillar No. 4 to 7. **West**-Eastern boundary of khasra No. 164/1 and 165/4 and Artificial Pillar no. 7 to 1.
	Kukurdi "C"	10, Kukurdi	165/2, 165/7, 165/1, 165/6, 165/8	0.166 0.304 0.304 0.405 0.166	**North**-Southern boundary of Khasra No. 165/3 (Ultrateck Cement Ltd.) and Artificial Pillar no. 1 to 2. **East**-Western boundary of Khasra No. 165/5 (Ultrateck Cement Ltd.) and Artificial Pillar No. 2 to 5. **South**-Village boundary of Dhandhani Village (Nala) and Artificial Pillar No. 5 to 6. **West**-Private land and Artificial Pillar No. 6 to 1.
			Total :-	**7.234**	
3	Mudhipar	10/11, Mudhipar	338/2, 3,5,6,,7,8,9, 10,11,12,13, 14, 17,19,22,341, 343, 344/2, 345	12.341	**North**-Southern boundary of Khasra No. 332, 339, 340/1 and 340/2 and Artificial Pillar No. 11 to 15. **East**-Village boundary of Kukurdi Village and Artificial Pillar No. 15 to 25. **South**-Village boundary of Dhandhani Village (Dhandhani Nala) and Artificial Pillar No. 25 to 32 and up to 2. **West**-Eastern boundary of Khasra No. 346, 338/21, 338/4, 337 and 336 and Artificial Pillar No. 2 to 11.
			Total :-	**12.341**	
			G.Total:-	**22.359**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 20 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायपुर उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला — रायपुर, वनमण्डल — रायपुर, तहसील — तिल्दा, परिक्षेत्र — रायपुर

स. क्र.	वनखण्ड का नाम	प.ह. क्र.एवं राजस्व ग्राम जहाँ वनखण्ड अवस्थित है	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हे. में)	अवस्थिति/सीमायें
1	2	3	4	5	6
1	भिंभोरी	भिंभोरी भाग— "अ" प.ह.नं. 15	620,621/2, 624,625, 626, 627, 628/1,3,4,5	5.612	उत्तर— कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 8. पूर्व— कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 8 से 11. दक्षिण — कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 11 से 13. पश्चिम— कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 13 से 1.
		भिंभोरी भाग—"ब" प.ह.नं. 15	503/1, 504/1	3.528	उत्तर— कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 2. पूर्व— कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 2 से 5. दक्षिण — कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 5 से 7. पश्चिम— कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 7 से 1.
		भिंभोरी भाग—"स" प.ह.नं. 15	720/1, 718/1, 714/5, 714/4, 714/2, 714/1, 601,597/1,2 596/2, 714/3, 596/1, 721, 717, 718/2, 720/2, 733/2, 603/1, 596/3, 715/1, 603/3, 598	14.631	उत्तर— कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 16. पूर्व — कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 16 से 23. दक्षिण— कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 23 से 28. पश्चिम— कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 28 से 1.
			योग:—	23.771	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 20 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 20-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

Naya Raipur, the 20th June 2017

No. F 7-8/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927) , the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Raipur Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter-II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District - Raipur, Forest Division- Raipur, Tahsil - Tilda Forest Range - Raipur

S. No.	Name of Forest block	Patwari halka no. and Revenue Village where block situated	Khasara No.	Area in Hectare	Situation/Limit
1	2	3	4	5	6
1	Bhimbhori	Bhimbhori Part -A P.C.No. 15	620,621/2, 624,625, 626, 627, 628/1,3,4,5	5.612	North- Artificial Boundary line Survey Pillar no 1 to 8 East- Artificial Boundary line Survey Pillar no 8 to 11 South- Artificial Boundary line Survey Pillar no 11 to 13 West- Artificial Boundary line Survey Pillar no 13 to 1
		Bhimbhori Part - B P.C.No. 15	503/1, 504/1	3.528	North- Artificial Boundary line Survey Pillar no 1 to 2 East- Artificial Boundary line Survey Pillar no 2 to 5 South- Artificial Boundary line Survey Pillar no 5 to 7 West- Artificial Boundary line Survey Pillar no 7 to 1
		Bhimbhori Part-C P.C.No. 15	720/1, 718/1, 714/5, 714/4, 714/2, 714/1, 601,597/1,2 596/2, 714/3, 596/1, 721, 717, 718/2, 720/2, 733/2, 603/1, 596/3, 715/1, 603/3, 598	14.631	North - Artificial Boundary line Survey Pillar no 1 to 16 East - Artificial Boundary line Survey Pillar no 16 to 23 South- Artificial Boundary line Survey Pillar no 23 to 28 West- Artificial Boundary line Survey Pillar no 28 to 1
		Total :-		**23.771**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 27 जून 2017

क्रमांक एफ 1-12/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा मुख्य वन संरक्षक स्तर के निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान करता है :—

1. श्री तपेश कुमार झा (1989)
2. श्री संजय कुमार ओझा (1989)
3. श्री अनिल कुमार राय (1990)

उपरोक्त अधिकारियों को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2016 के अनुसूचि-III के वेतन मेट्रिक्स के लेबल 15 (रु. 1,82,200-रु. 2,24,100) में नियमानुसार देय वेतन की पात्रता होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 जून 2017

क्रमांक एफ 1-06/2017/10/भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को उप वन मण्डल स्तरीय प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत तथा प्रशिक्षण हेतु उनके नाम के समक्ष दर्शाये गए नवीन पदस्थापना पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री जाधव श्रीकृष्णा ए.एन.एस. (2014).	बलरामपुर वनमण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र, शंकरगढ़.	उपवनमण्डलाधिकारी पूर्व कोण्डागांव, वनमण्डल दक्षिण कोण्डागांव.
2.	श्री पंकज राजपूत (2014)	बस्तर वनमण्डल जगदलपुर अंतर्गत, परिक्षेत्र, बस्तर.	उपवनमण्डलाधिकारी अंबागढ़ चौकी, वनमण्डल राजनांदगांव.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 जून 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सुकुलभठली प.ह.नं. 12	1.172	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के शारदा वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 जुलाई 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	छपोरा प.ह.नं. 31	13.299	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 जुलाई 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बोड़ाझरिया प.ह.नं. 31	4.167	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 23 मार्च 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-कुनकुनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.558 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
571/1	0.193
577	0.097
475/3	0.151
115/2	0.040
178/2	0.169
590/1	0.060
734/2/1, 744/1/1	0.073
592/1515	0.040
360/2, 361/2	0.065
569/1	0.020
114	0.101
569/3	0.028
742/1	0.141
349	0.040
360/4, 361/4	0.073
350	0.113
403/1	0.061
110/1, (110/2)	0.642
743	0.040
368/1	0.210
734/1/क	0.081
355/1	0.194
404/6	0.061
575/2	0.154
283/1	0.028
783/3	0.053
352	0.405
353/1	0.607
568/1	0.162
754/9 (767/12)	0.283
575/1	0.135
277	0.040
115/1	0.223
216/2, 217/2, 305/2	0.214
367	0.202
590/2	0.101
144/1	0.040
125	0.194
183/1	0.057
571/2	0.210
741/2 क	0.312
771/3	0.036
170/1	0.445
281/2	0.081
295	0.093
773/2	0.101
785/2	0.081
219/2	0.587
354	0.312
383/1	0.040
783/2	0.178
360/1 (361/1)	0.065
351	0.890
401	0.324
303/1, 304/2	0.134
405	0.081
591	0.040
143	0.081
219/1	0.142
183/2	0.053
578/2	0.231
741/2ख	0.053
771/4	0.081
115/4	0.101
282/2	0.202
784/2	0.296
390/2 (399/2)	0.223
581, 582/2, 583	0.202

(1)	(2)
161/2	0.040
179/1	0.506
357	0.324
368/2	0.070
402	0.049
294/1	0.065
475/1	0.016
585 (586/2)	0.283
407	0.121
590/3	0.103
144/2, 145	0.162
268	0.206
474	0.194
579/4	0.081
742/2, (744/2, 744/3)	0.121
167/2	0.271
275/2	0.101
284	0.324
181	0.567
741/1	0.040
347/2	0.057
784/1	0.040
355/3	0.069
358	0.202
168	0.243
109	0.202
347/1	0.065
110/3	0.101
115/6	0.101

(1)	(2)
332/3, 356/2	0.061
569/2	0.110
115/3	0.105
279/1	0.121
475/2ख	0.154
734/1ग	0.081
771/2	0.061
169 (170/2)	0.057
278/1	0.178
287/2	0.121
141/1	0.405
150/1	0.405
777/2, 778	0.243
151/1	0.093
772/3	0.081
187	0.008
115/5	0.041
777/1	0.243
योग 118	18.558

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 23 जून 2017

क्रमांक/4363/न.ग्रा.नि./दुर्ग/वि.यो.-साजा/2015.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में साजा निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन की सूचना छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 27-03-2015 को प्रकाशित किया गया.

अतः एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट साजा निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयेाग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार अनुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से तैयार

कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

साजा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम जाता, कजरा एवं डोंगीतराई ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम डोंगीतराई एवं साजा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम डोंगीतराई एवं साजा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम साजा एवं जाता ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर अवलोकन के लिये उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल : संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग छ.ग.

No. 4363/T&CP/Durg/D.P.-Saja/2015.—The existing land use map & register for the Saja Planning Area was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) which has been published in C.G. Gazette on date 23-03-2017.

Therefore a notice is here by given for the general information of the public that the existing land use map & register of Saja Planning Area, Existing land use map & Register so prepared and published are duly adopted by the Director, Town & Country Planning, under the provision of sub section (3) of the section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette. Under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map & register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

Limit of the Saja Planning Area

NORTH	:	Village Jata, Kajra and upto Northrn limit of Dongitarai.
EAST	:	Village Dongitarai and upto the Eastern limit of Saja.
SOUTH	:	Village Dongitarai and upto Southern limit of Saja.
WEST	:	Village Saja and upto the Western limit Jata.

The said adopted map & register shall be available for inspection of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site : Office of the Joint Director, Town & Country Planning, Durg C.G.

जाहिद अली,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड

बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जून 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भार.अधि./2017-18/2010.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/5071 रायपुर दिनांक 22-11-2016 द्वारा श्री आर. एस. ठाकुर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पखांजूर को कृषि उपज मंडी समिति पखांजूर जिला-उ. ब. कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर कांकेर का क्रमांक 4375/कले./व.लि.-2/न.क्र./2017 कांकेर दिनांक 12-06-2017 द्वारा सुश्री भारती चन्द्राकर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पखांजूर को कृषि उपज मंडी समिति पखांजूर के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री आर. एस. ठाकुर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पखांजूर के स्थान पर सुश्री भारती चन्द्राकर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पखांजूर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति पखांजूर जिला-उ. ब. कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

अभिजीत सिंह,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, दाऊ कल्याण सिंह भवन के सामने, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जून 2017

क्रमांक 64/स्था./2014-17/550.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का अधिसूचना सं. 154/CGH/2017-P.Admn., दिनांक 08 जून, 2017, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की नियुक्ति की सर्व-साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-

(डी. डी. सिंह)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 08 जून, 2017—18 ज्येष्ठ, 1939 (शक)

सं. 154/CGH/2017-P.Admn.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा, श्रीमती निधि छिब्बर, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री सुब्रत साहू, आई.ए.एस. (सीजी 1992) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है.

2. श्री सुब्रत साहू, छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे. जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे.

3. श्री सुब्रत साहू, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ के रूप में कार्य करते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा.

आदेश से,

हस्ता./-
(स्टैण्डहोप युहलुंग)
प्रधान सचिव.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 8th June, 2017—18 Jyaistha, 1939 (Saka)

NOTIFICATION

No. 154/CGH/2017-P.Admn.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Chhattisgarh hereby nominates Shri Subrat Sahoo, IAS, (CG:1992), as the Chief Electoral Officer for the State of Chhattisgarh with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Smt. Nidhi Chhibber, IAS.

2. Shri Subrat Sahoo shall cease to hold and hand over forth with the charge of all or any charges of work under the Government of Chhattisgarh, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Subrat Sahoo while functioning as the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Chhattisgarh except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

By order,

Sd/-

(STANDHOPE YUHLUNG)
Principal Secretary.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)

जगदलपुर, दिनांक 5 जुलाई 2017

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 4/अ-82/अ.वि.अ./अधिसूचना/2016-17.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके लिए उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर जिला-बस्तर की अधिसूचना क्रमांक 1737/अ.वि.अ./अधिसूचना/2016-17 जगदलपुर, दिनांक 06-05-2017 (छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-एक में दिनांक 19 मई 2017 को पृष्ठ क्रमांक 835 में प्रकाशित) द्वारा उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट, नगरनार परियोजना के लिए जल परिवहन बाबत् भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग के अधिकारों का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 मई, 2017 को प्रकाशित की गई है. कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार के कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई, और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से कोई आपत्ति/आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करता है कि इस अधिसूचना की संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि का उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

क्र.	तहसील/जिला	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बस्तर	जगदलपुर	मंगनपुर-26	47	0.042
			59	0.048
		योग	**2**	**0.090**

एस. आर. कुर्रे,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं
सक्षम प्राधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 22nd June 2017

No. 872/Confdl./2017/II-2-1/2017.—The following member of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) of the table below, is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and in posted as District Judge from the date he assumes charge of his office and :

The following member of Higher Judicial Service is appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No.	Name & presently posted as	From	To	Sessions Division	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri Ashok Kumar Sahu, District and Sessions Judge.	Jashpur	Mungeli	Mungeli	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 22nd June 2017

No. 874/Confdl./2017/II-2-90/2001 (Pt.III).—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Shri Gautam Chouradia, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Registrar (Judicial) as Registrar General in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

By order of the Hon'ble the Chief Justice,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.